The U.P. Course Books Act, 1978
(U.P. Act No. 7 of 1979)
Received the assent of the President on February 15, 1979, published in U.P. Gazette, Extraordinary, dated 20th February, 1979.

ARRANGEMENT OF SECTIONS

Sections:

1. **Short title and extent**
2. **Definitions**
3. **Dealer not to withhold from sale or charge excess price**
4. **Requisition of stock of course books**
5. **Restrictions on prescribing of text books by recognized institutions**
6. **Power of collecting information or statistics, entry, search and seizure**
7. **Power of State Government to notify prices of course books**
8. **Penalties**
9. **Attempts and abetment**
10. **False statements**
11. **Offences by companies**
12. **Offences to be cognizable and bailable**
13. **Power of Court to publish name, place of business etc. of companies convicted under the Act**
14. **Cognizance of offence**
15. **Special provision regarding fine**
16. **Protection of action taken under the Act**

उत्तर प्रदेश पाठ्य–पुस्तक अधिनियम, 1978
(उत्तर प्रदेश अधिनियम सं0 7 सन् 1979)
(जैसा उत्तर प्रदेश विधान मण्डल द्वारा पारित हुआ)

जन साधारण के हित में, पाठ्य–पुस्तकों के निर्माण, प्रदाय, वितरण, व्यापार और वाणिज्य पर नियन्त्रण रखने के लिए और उससे सम्बद्ध या आनुषंगिक विषयों की व्यवस्था करने के लिए

अधिनियम

भारत गणराज्य के उन्तीसवें वर्ष में निम्नलिखित अधिनियम बनाया जाता हैः–

1–(1) यह अधिनियम उत्तर प्रदेश पाठ्यपुस्तक अधिनियम, 1978 कहा जाएगा। — संक्षिप्त नाम और विस्तार

(2) इसका विस्तार सम्पूर्ण उत्तर प्रदेश में होगा।

2– इस अधिनियम में – — परिभाषाएं

(क) ''परिषद्'' का तात्पर्य माध्यमिक शिक्षा परिषद्, उत्तर प्रदेश से है;

(ख) ''पाठ्य पुस्तक'' तात्पर्य शिक्षा विभाग, उत्तर प्रदेश या परिषद् या उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालय अधिनियम, 1973 की धारा 2 के खण्ड (20) में परिभाषित किसी विश्वविद्यालय द्वारा विहित या संस्तुत या उनके पाठ्यक्रमों के अनुसार लिखी गयी और धारा 7 के अधीन अधिसूचना में विर्निदिष्ट या निर्दिष्ट किसी पुस्तक में है;

(ग) ''रियायती दर के कागज'' का तात्पर्य उस कागज से है जिसे केन्द्रीय सरकार द्वारा रियायती दर पर उपलब्ध कराया जाय और प्रकाशकों को राज्य सरकार के माध्यम से आवंटित किया जाय।

(घ) ''व्यापारी'' का तात्पर्य उस व्यक्ति से है जो किन्हीं पाठ्य–पुस्तकों के, चाहे थोक में (चाहे मुद्रक या प्रकाशक या वितरक के रूप में) या फुटकर के क्रय, विक्रय या विक्रय के लिए संग्रह करने के कारोबार में लगा हो, और इसके अन्तर्गत उसका प्रतिनिधि या अभिकर्ता भी है;

(ङ) ''निदेशक'' का तात्पर्य शिक्षा निदेशक, उत्तर प्रदेश से है;

(च) पाठ्य–पुस्तक के संबंध में, ''अधिसूचित मूल्य'' का तात्पर्य उस मूल्य से है जो धारा 7 के अधीन जारी की गयी अधिसूचना में उसके सामने अंकित है, और ऐसी अधिसूचना के जारी होने तक, उस मूल्य से है जो उत्तर प्रदेश पाठ्य–पुस्तक आदेश, 1975 में इंगित है;

(छ) ''विहित प्राधिकारी'' का तात्पर्य जिला मजिस्ट्रेट से है, और इसके अन्तर्गत इस अधिनियम के अधीन अपने किसी कृत्य का सम्पादन करने के लिए उसके द्वारा लिखित रूप से प्राधिकृत कोई प्राधिकारी भी है;

(ज) ''विवरण पत्रिका'' का तात्पर्य परिषद् द्वारा हाईस्कूल और इण्टरमीडिएट की परीक्षाओं के लिए समय–समय पर जारी की गयी ''विवरण पत्रिका'' से है;

(झ) ''प्रकाशक'' का तात्पर्य उस व्यक्ति से है जो परिषद् द्वारा हाईस्कूल और इण्टरमीडिएट कक्षाओं में उपयोग के लिए विहित पाठ्यक्रम के अनुसार या शिक्षा विभाग द्वारा पहली कक्षा से आठवीं कक्षा तक के लिए विहित पाठ्यक्रम के अनुसार तैयार की गयी कोई पुस्तक प्रकाशित करता है, और इसके अन्तर्गत ऐसा व्यक्ति भी है जो कोई पाठ्य–पुस्तक प्रकाशित करता है।

3– (1) कोई व्यापारी– — व्यापारी न विक्रय से विमुख होगा

(क) अपने स्टाक में विद्यमान किसी पाठ्य–पुस्तक के विक्रय से विमुख नहीं होगा; या

(ख) किसी पाठ्य–पुस्तक के लिये अधिसूचित मूल्य से अधिक मूल्य नहीं लेगा। न अधिक मूल्य लेगा

(2) कोई प्रकाशक इस अधिनियम के प्रारम्भ के पश्चात्–

(क) यथास्थिति, परिषद् या शिक्षा विभाग द्वारा किसी कक्षा में उपयोग के लिए विहित या संस्तुत;

(ख) उस विषय के संबंध में, जिसके लिए परिषद् ने कोई पुस्तक संस्तुत या अनुमोदित न की हो, पाठ्यक्रम के अनुसार लिखित, किसी पाठ्य–पुस्तक को मुद्रित या प्रकाशित करने के लिए रियायती दर के कागज से भिन्न किसी कागज का उपयोग नहीं करेगा;

परन्तु यदि किसी कारणवश किसी प्रकाशक को रियायती दर का कागज उपलब्ध न कराया जा सके तो, इस उपधारा की किसी बात से यह नहीं समझा जाएगा कि उस प्रकाशक से, ऊपर निर्दिष्ट किसी पुस्तक के मुद्रण या प्रकाशन के लिए रियायती दर के कागज का उपयोग करना अपेक्षित है।

4– (1) जहां विहित प्राधिकारी को यह विश्वास करने का कारण हो कि किसी व्यापारी ने, चाहे अपनी ओर से या किसी अन्य व्यक्ति की ओर से या उसकी भागीदारी में, किन्ही पाठ्य–पुस्तकों का संग्रह किया है या संग्रह जारी रखा है या संग्रह के लिए अर्जन किया है, वहां विहित प्राधिकारी, आदेश द्वारा, उससे यह अपेक्षा कर सकेगा कि वह सम्पूर्ण स्टाक या उसके विनिर्दिष्ट भाग को राज्य सरकार को या ऐसे व्यक्ति या व्यक्तियों के वर्ग को अधिसूचित मूल्य पर, और ऐसी रीति से और ऐसे समय के भीतर जिसे वह इस निमित्त विनिर्दिष्ट करे, बेंच दे। पाठ्यपुस्तकों के स्टाक का अधिग्रहण

(2) जहां कोई व्यक्ति, जिसके विरूद्ध उपधारा (1) के अधीन कोई आदेश दिया जाय, उसका अनुपालन करने में विफल रहता है, वहां विहित प्राधिकारी, यथास्थिति, पाठ्य पुस्तक का ऐसा स्टाक या उसका भाग अपनी अभिरक्षा में ग्रहण कर या करवा सकेगा और ऐसा स्टाक या उसका भाग राज्य सरकार को या ऐसे व्यक्ति या व्यक्तियों के वर्ग को जिसे आदेश में विनिर्दिष्ट किया गया हो, दे या दिलवा सकेगा और व्यापारी को उसके अधिसूचित मूल्य का भुगतान करा सकेगा।

5– परिषद् द्वारा मान्यता प्राप्त या बेसिक शिक्षा परिषद्, उत्तर द्वारा अनुरक्षित या मान्यता प्राप्त कोई शिक्षा संस्था जिसमें पहली कक्षा से आठवीं कक्षा या इनमें से किसी भी कक्षा के विद्यार्थियों को शिक्षा दी जाती है, निदेशक के अनुमोदन के बिना इन कक्षाओं के लिए, धारा 7 के अधीन जारी की गई अधिसूचना में उल्लिखित पाठ्य–पुस्तकों से भिन्न कोई पाठ्य–पुस्तक विहित नहीं करेगी। मान्यता प्राप्त संस्थाओं द्वारा पाठ्यपुस्तक विहित करने पर निर्बन्धन

6– विहित प्राधिकारी इस अधिनियम का अनुपालन सुनिश्चित करने की दृष्टि से या अपना या समाधान करने की दृष्टि से कि इस अधिनियम का अनुपालन किया गया है या नहीं– सूचना या आंकड़े संग्रह, प्रवेश, तलाशी या अभिग्रहण की शक्ति

(क) किसी व्यक्ति से कोई विवरण देने या कोई सूचना या आंकड़े प्रस्तुत करने की अपेक्षा कर सकेगा;

(ख) किसी एसे व्यक्ति से जिसके सम्बन्ध में यह विश्वास हो कि वह व्यापारी है, अपेक्षा कर सकेगा कि वह अपने कारोबार से या अपनी अभिरक्षा या नियंत्रण में रहने वाली पाठ्य–पुस्तकों के स्टाक से, सम्बद्ध ऐसी बही, लेखा और अभिलेख जो विर्निष्ट किये जायें, रखे और निरीक्षण के लिए प्रस्तुत करे;

(ग) किसी व्यापारी से या किसी व्यापारी द्वारा नियोजित किसी व्यक्ति से अपेक्षा कर सकेगा कि वह अपनी अभिरक्षा या नियंत्रण में रहने वाली पाठ्य–पुस्तकों के स्टाक से सम्बद्ध ऐसी बही, लेखा और अन्य दस्तावेज, जो विनिर्दिष्ट किये जायं, प्रस्तुत करे;

(घ) किसी बही, लेखा या अन्य दस्तावेज का जो एसे अधिकारी की राय में इस अधिनियम के उल्लंघन के सम्बन्ध में किसी कार्यवाही के लिए उपयोगी या सुसंगत हो, परीक्षण और अधिग्रहण कर सकेगा और ऐसी बही, लेखा और अन्य दस्तावेज को, उनकी प्रतिलिपियों या उनके उद्धरण लेने और उन्हें अपने हस्ताक्षर से प्रमाणित करने के पश्चात् उस व्यक्ति को लौटा सकेगा जिससे वे अभिगृहीत किये गये हों; या

(ड) किसी भू–गृहादि, गाड़ी या जलयान की तलाशी ले सकेगा और उसमें पायी गयी किन्हीं पाठ्य–पुस्तकों की तालिका तैयार कर सकेगा, या ऐसी किन्हीं पाठ्य–पुस्तकों को अभिगृहीत कर सकेगा जिसके सम्बन्ध में उसे यह विश्वास करने का कारण हो कि इस अधिनियम का उल्लंघन किया गया है या किया जा रहा है या किया जाने वाला है और तत्पश्चात् ऐसी समस्त कार्यवाहियां कर सकेगा या करने के लिए प्राधिकृत कर सकेगा जो इस प्रकार अभिगृहीत स्टाक को किसी न्यायालय में पेश किये जाने को सुनिश्चित करने के लिए और इस प्रकार पेश किये जाने तक उसकी सुरक्षित अभिरक्षा के लिए आवश्यक हो।

7– राज्य सरकार, अधिसूचित आदेश द्वारा उस आदेश में विनिर्दिष्ट या निर्दिष्ट पाठ्य–पुस्तकों का उचित मूल्य निश्चित कर सकती है। पाठ्य–पुस्तकों का मूल्य अधिसूचित करने की राज्य सरकार की शक्ति

8– यदि कोई व्यक्ति धारा 3 के उपबन्धों का उल्लंघन करता है तो वह– शास्ति

(एक) उक्त धारा की उपधारा (1) का उल्लंघन करने की स्थिति में ऐसी अवधि के लिए कारावास से ,जो एक वर्ष तक हो सकती है और जुर्माना से भी, और

(दो) किसी अन्य उल्लंघन की स्थिति में, ऐसी अवधि के लिए कारावास से, जो तीन वर्ष तक हो सकती है, और जुर्माना से भी दण्डनीय होगा।

9– किसी व्यक्ति को जो इस अधिनियम के किसी उपबन्ध का उल्लंघन करने का प्रयास करता है या उल्लंघन करने का दुष्प्रेरण करता है, अधिनियम का उल्लंघन करने
वाला समझा जायेगा। प्रयास और दुष्प्रेरण

10– यदि कोई व्यक्ति– मिथ्या कथन

(एक) जब उससे धारा 6 के अधीन किसी आदेश द्वारा कोई विवरण देने या कोई सूचना या आंकड़े प्रस्तुत करने की अपेक्षा की जाय, कोई ऐसा विवरण देता है या कोई ऐसी सूचना या आंकड़े प्रस्तुत करता है जो तात्विक विशिष्टि में मिथ्या है और जिसके मिथ्या होने का उसे ज्ञान है या जिसको मिथ्या मानने का उसके पास युक्ति युक्त कारण है या जिसके सत्य होने का उसे विश्वास नहीं है, या

(दो) किसी बही, लेखा, अभिलेख, घोषणा, विवरणी या अन्य दस्तावेज में जिसे किसी ऐसे आदेश द्वारा रखने या प्रस्तुत करने की अपेक्षा की गयी हो उपर्युक्त प्रकार को कोई विवरण देता है, तो वह ऐसी अवधि के लिए कारावास से, जो तीन वर्ष तक हो सकती है या जुर्माना से या दोनों से दण्डनीय होगा।

11– (1) यदि इस अधिनियम के अधीन अपराध करने वाला व्यक्ति कोई कम्पनी हो तो वह कम्पनी और ऐसा प्रत्येक व्यक्ति जो अपराध किये जाने के समय कम्पनी के कार्य संचालन के लिए उसका प्रभारी और उसके प्रति उत्तरदायी था, उस अपराध का अपराधी माना जायगा और तद्नुसार कार्यवाही किये जाने और दण्ड दिये जाने का भागी होगाः कम्पनियों द्वारा अपराध

परन्तु इस उपधारा की किसी बात से ऐसा कोई व्यक्ति दण्डनीय नहीं होगा जो यह साबित कर दे कि अपराध बिना उसकी जानकारी के किया गया था या उसने ऐसे अपराध के निवारण के लिये सभी सम्यक् तत्परता बरती थी।

(2) उपधारा (1) में किसी बात के होते हुए भी, जब इस अधिनियम के अधीन कोई अपराध किसी कम्पनी द्वारा किया गया हो और यह साबित हो जाय कि अपराध उस कम्पनी के किसी निदेशक, प्रबन्धक, सचिव या अन्य अधिकारी की सहमति या मौनानुमति से किया गया है या उसकी ओर से कोई उपेक्षा किये जाने के कारण हुआ है, तो वह निदेशक, प्रबन्धक, सचिव या अन्य अधिकारी भी उस अपराध का अपराधी माना जायेगा और तदनुसार कार्यवाही किये जाने और दण्ड दिये जाने का भागी होगा।

स्पष्टीकरण– इस धारा के प्रयोजनों के लिए–

(क) 'कम्पनी' का तात्पर्य किसी निगमित निकाय से है, और इसमें कोई फर्म या व्यक्तियों का अन्य समुदाय भी सम्मिलित है; और

(ख) किसी फर्म के सम्बन्ध में, 'निदेशक' का तात्पर्य उस फर्म के भागीदार से है।

12– दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973 में किसी बात के होते हुए भी इस अधिनियम के अधीन दण्डनीय प्रत्यके अपराध संज्ञेय और जमानती होगा।

अपराधों का संज्ञेय और जमानती होना

13– (1) जहां किसी कम्पनी को इस अधिनियम के अधीन सिद्ध–दोष ठहराया जाय, वहां कम्पनी को सिद्ध–दोष ठहराने वाला न्यायालय इस बात के लिए सक्षम होगा कि वह कंपनी का नाम, कारोबार का स्थान, उल्लंघन का प्रकार, यह तथ्य कि कम्पनी को इस प्रकार सिद्ध–दोष ठहराया गया है और ऐसे अन्य ब्योरे जिन्हें न्यायालय मामले की परिस्थितियों में समुपयुक्त समझे, कम्पनी के व्यय पर ऐसे समाचार–पत्रों में या ऐसी अन्य रीति से जैसा न्यायालय निर्देश दे, प्रकाशित कराये।

अधिनियम के अधीन सिद्ध–दोष कम्पनियों के नाम, कारोबार का स्थान आदि प्रकाशित करने की न्यायालय की शक्ति

(2) उपधारा (1) के अधीन कोई प्रकाशन तब तक नहीं किया जायेगा, जब तक न्यायालय के आदेश के विरूद्ध अपील करने की अवधि अपील किये बिना व्यतीत न हो गयी हो, या यदि अपील की गयी हो तो उसका निस्तारण न कर दिया गया हो।

(3) उपधारा (1) के अधीन किसी प्रकाशन का व्यय कम्पनी से इस प्रकार वसूल किया जायेगा मानों वह न्यायालय द्वारा आरोपित जुर्माना हो।

स्पष्टीकरण– इस धारा के प्रयोजन के लिये कम्पनी का वही अर्थ है जो धारा 11 के स्पष्टीकरण के खण्ड (क) में दिया गया है।

14– कोई भी न्यायालय इस अधिनियम के अधीन दण्डनीय किसी अपराध का संज्ञान ऐसी लिखित रिपोर्ट के सिवाय नहीं करेगा जो जिला मजिस्ट्रेट के, या अन्य ऐसे अधिकारी के, जिसे राज्य सरकार इस निमित्त सामान्य या विशेष आदेश द्वारा शक्ति प्रदान करे, आदेश से या प्राधिकार के अधीन, उन तथ्यों के सम्बन्ध में जिनसे ऐसा अपराध बनता हो, दी गयी हो।

अपराधों का संज्ञान

15– दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973 की धारा 29 में किसी बात के होते हुए भी, किसी महानगर मजिस्ट्रेट या प्रथम वर्ग के न्यायिक मजिस्ट्रेट के लिए, जिसे इस निमित्त राज्य सरकार द्वारा विशेष रूप से शक्ति प्रदान की जाय, धारा 3 का उल्लंघन करने वाले किसी सिद्ध–दोष व्यक्ति को पांच हजार रुपये से अधिक जुर्माने का दण्डादश देना विधिपूर्ण होगा।

जुर्माने के संबंध में विशेष उपबन्ध

अधिनियम के अधीन किये गये कार्य को संरक्षक

16— (1) किसी व्यक्ति के विरूद्ध किसी ऐसे कार्य के लिए जो धारा 3 के अनुसरण में सद्भावना से किया गया हो या किये जाने के लिए आशयित हो, कोई वाद, अभियोजन या अन्य विधिक कार्यवाही नहीं की जा सकेगी।

(2) राज्य सरकार के विरूद्ध किसी ऐसी क्षति के लिए, जो किसी ऐसे कार्य से हुई हो या संभावित हो, जो इस अधिनियम के अधीन जारी किये गये किसी आदेश के अनुसरण में सद्भावना से किया गया हो, या किये जाने के लिए आशयित हो, कोई वाद, या अन्य विधिक कार्यवाही नहीं की जा सकगी।

The U.P. Course Books Act, 1978

(U.P. Act No. 7 of 1979)

Received the assent of the President on February 15, 1979, published in U.P. Gazette, Extraordinary, dated 20th February, 1979.

An

Act

to provide, in the interests of the general public, for the control of production, supply and distribution of, and trade and commerce in, course books and for matters connected therewith or incidental thereto. It is hereby enacted in the Twenty-ninth Year of Republic of India as follows :

Short title and extent

1. (1) This Act may be called the Uttar Pradesh Course Books Act, 1978.

(2) It shall extend to the whole of Uttar Pradesh.

Definitions

2. In this Act,-

(a) "Board" means the Board of High School and Intermediate Education, Uttar Pradesh;

(b) "course books" means any book prescribed or recommended by or written according to the syllabi of the Department of Education, Uttar Pradesh, or the Board, or any University as defined in clause (20) of Section 2 of the Uttar Pradesh State Universities Act, 1973 and specified or referred to in the notification under Section 7;

(c) "concessional rate paper" means the paper made available by the Central Government at concessional rate, and allotted to publishers through the State Government;

(d) "dealer" means a person engaged in the business of purchase, sale or storage for sale, of any course books, whether by wholesale (whether as printer, publisher or distributor) or by retail, and includes his representative or agent;

(e) "director" means the Director of Education, Uttar Pradesh ;

(f) "notified price" in relation to a course books means the price indicated against it in a notification issued under Section 7, and until such notification is issued, the price indicated in the Uttar Pradesh Course Books Order, 1975 ;

(g) "Prescribed Authority" means the District Magistrate and includes any officer authorised by him in writing to perform any of his functions under this Act;

(h) "prospectus" means the "Vivran Patrika" issued from time to lime for the High School and Intermediate Examinations by the Board ;

(i) "publisher" means a person who publishes any book prepared according to the syllabus prescribed by the Board for use in the High School and Intermediate classes or according to syllabus prescribed by the Department of Education for classes I to VIII, and includes a person who publishes a course book.

Dealer not to withhold from sale or charge excess price.

3. (1) No dealer shall-

(a) withhold from sale any course book held in stock by him, or

(b) charge for any course book a price which exceeds its notified price.

(2) No publisher shall, subsequent to the commencement of this Act, use any paper other than concessional rate paper for the printing or

publishing of text book-

(a) prescribed or recommended for use in any class by the Board or by the Department of Education, as the case may be ;

(b) written according to the syllabus in respect of the subject for which the Board has not recommended or approved any book :

Provided that nothing contained in this sub-section shall be deemed to require a publisher to use concessional rate paper for the printing or publishing of any book referred to above if concessional rate paper cannot be made available to him for any reason.

Requisition of stock of course books

4. (1) Where the Prescribed Authority has reason to believe that any dealer has stored or continued to store or acquired for storage, whether on his own account or on account of or in partnership with, any other person, any course books, the Prescribed Authority may, by order, require, him to sell at the notified price the whole or a specified part of such stock to the State Government or to such person or class of persons and in such manner and within such time as it may specify in this behalf.

(2) Where any person against whom an order is passed under sub-section (1), fails to comply with it, the Prescribed Authority may take, or cause to be taken such stock of course books or part thereof, as the case may be, in its custody, and may deliver or cause to be delivered such stock or part thereof to the State Government or such person or class of persons as may have been specified in the order, and may cause to be paid to the dealer the notified price thereof.

Restrictions on prescribing of text books by recognized institutions

5. No educational institution reognized by the Board or maintained or recognized by the Board of Basic Education, Uttar Pradesh, where students of Classes I to VIII or any of them are taught shall, save with approval of the Director, prescribe any text-book for such classes other than those mentioned in the notification issued under Section 7.

Power of collecting information or statistics, entry, search and seizure

6. The Prescribed Authority may, with a view to securing compliance with this Act or to satisfying itself that this Act has been complied with-

(a) require any person to make any statement or to furnish any information or statistics;

(b) require any person believed to be a dealer to maintain and produce for inspection such books, accounts and records relating to his business or to the stock of course books under his custody or control as may be specified ;

(c) require any dealer or any person employed by a dealer to produce such books, accounts and other documents relating to the stock of course books under his custody or control as may be specified ;

(d) examine and seize any books, accounts or other documents which in the opinion of such officer would be useful for, or relevant to any proceedings in respect of any contravention of this Act and return such books, accounts and other documents to the person from whom they were seized after copies thereof or extracts therefrom, certified

under his hand, have been taken; or

(e) search any premises, vehicle or vessel and prepare an inventory of any course books found therein, or seize any course books in respect of which he has reason to believe that a contravention of this Act has been, is being or is about to be, committed and thereafter take or authorise the taking of all measures necessary for securing the production of stock so seized in court and for its safe custody pending such production.

Power of State Government to notify prices of course books

7. The State Government may by notified orders fix fair prices of course books specified or referred to therein.

Penalties

8. If any person contravenes the provisions of Section 3, he shall be punishable-

(i) in the case of contravention of sub-section (1) of that section with imprisonment for a term which may extend to one year and shall also be liable to fine, and

(ii) in the case of any other contravention, with imprisonment for a term which may extend to three years and shall also be liable to fine.

Attempts and abetment.

9. Any person who attempts to contravene, or abets a contravention of, any provision of this Act shall be deemed to have contravened the Act.

False statements

10. If any person,-

(i) when required by any order made under Section 6 to make any statement or furnish any information or statistics, makes any statements or furnishes any information or statistics which is false in any material particular and which he knows or has reasonable cause to believe, to be false, or which he does not believe to be true, or

(ii) makes any such statement as aforesaid in any books, account, record, declaration, return or other document which he is required by any such order to maintain or furnish, he shall be publishable with imprisonment for a term which may extend to three years, or with fine, or with both.

Offences by companies

11. (1) If the person committing an offence under this Act is a company, every person who, at the time of the commission of the offence was incharge of, and was responsible to, the company for the conduct of its business as well as the company, shall be deemed to be guilty of the offence and shall be liable to be proceeded against and punished accordingly:

Provided that nothing contained in this sub-section shall render any such person liable to any punishment if he proves that the offence was committed without his knowledge or that he exercised all due diligence to prevent the commission of such offence.

(2) Notwithstanding anything contained in sub-section (1) where an offence under this Act has been committed by a company and it is proved that the offence has been committed with the consent or connivance of, or is attributable to any neglect on the part of any

director, manager, secretary or other officer of the company, such director, manager, secretary or other officer shall also be deemed to be guilty of that offence and shall be liable to be proceeded against and punished accordingly.

Explanation. - For the purposes of this section-

(a) "company" means any body corporate, and includes a firm or other association of individuals; and

(b) "director" in relation to a firm means a partner in the firm.

Offences to be cognizable and bailable

12. Notwithstanding anything contained in the Code of Criminal Procedure, 1973, every offence punishable under this Act shall be congizable and bailable.

Power of Court to publish name, place of business etc. of companies convicted under the Act

13. (1) Where any company is convicted under this Act, it shall be competent for the Court convicting the company to cause the name and place of business of the company, nature of the contravention, the fact that the company has been so convicted and such other particulars as the Court may consider to be appropriate in the circumstances of the case, to be published at the expenses of the company in such newspapers or in such other manner as the Court may direct.

(2) No publication under sub-section (1) shall be made until the period for preferring an appeal, against the order of the Court has expired without any appeal having been preferred or the appeal, if preferred has been disposed of.

(3) The expenses of any publication under sub-section (1) shall be recoverable from the company as if it were a fine imposed by the Court.

Explanation. - For the purposes of this section, Company has the meaning assigned to it in clause (a) of the explanation to Section 11.

Cognizance of offence

14. No Court shall take cognizance of any offence punishable under this Act except on a report in writing of the facts constituting such offence made by the order of, or under authority from the District Magistrate or such other officer as may be empowered by the State Government by general or special order in this behalf.

Special provision regarding fine

15. Notwithstanding anything contained in Section 29 of the Code of Criminal Procedure, 1973 (Act 2 of 1974), it shall be lawful for any Metropolitan Magistrate, or Judicial Magistrate of the first class, specially empowered by the State Government in this behalf, to pass a sentence of fine exceeding five thousand rupees on any person convicted of contravening Section 3.

Protection of action taken under the Act

16. (1) No suit, prosecution or other legal proceeding shall lie against any person for anything which is, in good faith, done or intended to be done in pursuance of Section 3.

(2) No suit or other legal proceeding shall lie against the State Government for any damage caused or likely to be caused by anything which is, in good faith, done or intended to be done in pursuance of any order issued under this Act.